राजस्थान सरकार
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक–एफ 5(प)(45)एसीटीएडी/माडा/बजट/SCA/मं.अनु./2019–20/ दिनांक–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ),
सवाई माधोपुर।

विषय– बिखरी योजनान्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत सी. सी. सडक मय नाली निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सन्दर्भित पत्र के साथ प्राप्त प्रस्तावों मय तकनीकी स्वीकृति के क्रम में निम्नांकित निर्माण कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्द्वारा जारी की जाती है–

कार्यकारी एजेन्सी– ग्राम पंचायत (राशि लाख रू. में)

क्र. स.	कार्य का नाम	ग्राम व ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	तकनीकी स्वीकृति		राशि	प्रथम किश्त देय राशि
				क्रमांक	दिनांक		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सी.सी. रोड निर्माण मीना हताई से स्कूल होता हुआ मैन रोड तक	भाडौती	बौंली	1642	29.05.2020	10.00	8.00
2.	सी.सी. रोड निर्माण भागचन्द मीना के मकान से हंसराज मीना की ओर	भाडौती	बौंली	1643	29.05.2020	09.98	7.98
	कुल राशि					19.98	15.98

उक्त कार्य सम्पादन हेतु **विशेष केन्द्रीय सहायता** मद अन्तर्गत जारी स्वीकृति संख्या–56/2019–20 दिनांक 08.11.2019 द्वारा बिखरी योजनान्तर्गत जनजाति बस्तियों को सेवा केन्द्र से जोडने हेतु राशि रूपये 100.00 लाख में से होगा। यह राशि आयुक्तालय के पी.डी. खाते मे उपलब्ध है।

उपरोक्त निर्माण कार्यों हेतु निम्न निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जावे–

1. यदि उपरोक्त स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब सूचित किया जावें। दोहरे व्यय के लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. कार्यकारी एजेन्सी एवं तकनीकी स्वीकृति जारीकर्ता अधिकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका की शर्तो के अनुसार कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जाने हेतु उत्तरदायी होगी।
3. निर्विवाद सार्वजनिक भूमि पर ही कार्य कराया जावे।
4. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावें। कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण–पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लोटाई जावें।
5. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं संशोधन नियम, 2013 तथा सामान्य वित्त एवं लेखा नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावें।

---क्रमशः-2

6. इस कार्यालय के पत्रांक 20728—80 दिनांक 23.05.2019 द्वारा जारी निर्देशानुसार जिन कार्य की कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत नियुक्त की गई उन कार्यों की राशि सीधे ही ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित नहीं कर संबंधित विकास अधिकारी, पंचायत समिति को नियमानुसार हस्तान्तरित करेंगे।
7. ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधानों के अनुसार कार्यो का सम्पादन किया जावेगा एवं नियमानुसार उपयोगिता/कार्य पूर्णता प्रमाण—पत्र प्राप्त कर शेष राशि उपलब्ध करायेंगे।
8. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy मे comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।

भवदीय,

//

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय) IAS
आयुक्त

क्रमांक—एफ 5(प)(45)एसीटीएडी/माडा/बजट/SCA/मं.अनु./2019—20/17647-57 दिनांक—7/8/202

प्रतिलिपि—

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन परियोजना अधिकारी (माडा), जिला परिषद, सवाई माधोपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त कार्यों की कुल स्वीकृत राशि रूपये 19.98 लाख के विरूद्ध विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत स्वीकृति संख्या— 56/2019—20 दिनांक 08.11.2019 से बिखरी योजनान्तर्गत आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में प्राप्त राशि रूपये 100.00 लाख में से कॉलम संख्या 8 अनुसार प्रथम किश्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), सवाई माधोपुर को राशि रूपये 15.98 लाख हस्तान्तरित करावें।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बौंली, जिला— सवाई माधोपुर।
7. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
8. कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा।
9. अभियांत्रिकी शाखा, कार्यालय हाजा।
10. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)